



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या 18344 वर्ष 2025

श्रीमती मीना श्रीवास्तव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राम दयाल तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, वैभव गोस्वामी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुढवार,

विषय: सुधार आवेदन संख्या 2, वर्ष 2026

1. सुधार आवेदन के माध्यम से दिनांक 09.01.2026 के आदेश में पैरा-4 की पंक्ति 1 और 2 में शब्द 'वह पुरुष' को हटाकर 'वह महिला' से प्रतिस्थापित करने, पैरा-13 (क) में शब्द 'आयुक्त' को हटाकर 'मुख्य सचिव' से प्रतिस्थापित करने तथा पैरा-14 की पंक्ति संख्या 2 में शब्द 'याचिका' को हटाकर 'याचिकाकर्ता' से प्रतिस्थापित करने का अनुरोध किया गया है।
2. तदनुसार, सुधार आवेदन स्वीकार किया जाता है।

19 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।